

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाकव्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010—श्रावण 1, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिषिष्ठ.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रबर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-670-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश
उपाध्याय, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन
विभाग को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक, पांच दिन का
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ
दिनांक 10 एवं 11 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने
की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी
रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के
पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय
अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-779-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री रामकिंकर
गुप्ता, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर को
दिनांक 24 जून से 24 जुलाई 2010 तक, इकतीस दिन का अर्द्धवेतनिक
अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रामकिंकर गुप्ता को अस्थायी
रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, मध्यप्रदेश लोक
सेवा आयोग, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री रामकिंकर गुप्ता को अर्द्धवेतनिक अवकाश अवधि में, उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व के बेतन भत्तों का अर्द्धवेतन व भत्ते देय होंगे।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामकिंकर गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवानि खैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-326-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री डी. सिंघई, आयएएस, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 द्वारा दिनांक 2 से 11 जून 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 2 से 14 जून 2010 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 की शेष कण्ठिकार्ये यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-782-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री भरत कुमार व्यास, आय.ए.एस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 23 से 30 जून 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री भरत कुमार व्यास को अवकाश बेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-348-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) डॉ. राजन एस. कटोच, आय.ए.एस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, परिवहन

विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2010 द्वारा दिनांक 14 से 26 जून 2010 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 28 जून 2010 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2010 की शेष कण्ठिकार्ये यथावत् रहेंगी।

क्र. ई. 5-762-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री डी. पी. अहिरवारा, आय.ए.एस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन एवं पशुपालन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2010 द्वारा दिनांक 15 जून से 6 जुलाई 2010 तक, बाईंस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 15 से 30 जून 2010 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2010 की शेष कण्ठिकार्ये यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पत्त, अवर सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. एफ. 1(ए)60-1993-ब-2-दो.—श्री आर. पी. सिंह, भाषुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, मुख्यालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 जुलाई से 13 अगस्त 2010 तक, कुल तैतीस दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 10, 11 जुलाई एवं 14, 15 अगस्त 2010 के विज्ञप्ति अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आर. पी. सिंह, भाषुसे की उक्त अवकाश अवधि में उनके पद का कार्य श्री विशद तिबारी, एडीशनल कमाण्डेंट जनरल, होमगार्ड, मुख्यालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. सिंह, भाषुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, मुख्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, मुख्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर अवकाश अवधि में उनका कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त पद के कार्य से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. पी. सिंह, भापुसे को अवकाश बैतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. 1(ए)400-88-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रा.अ.अ. ब्लूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 30 जून से 11 जुलाई 2008 तक, कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 29 जून 2008 एवं 12, 13 जुलाई 2008 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ तथा दिनांक 12 से 18 जुलाई 2008 तक, कुल सात दिवस एवं दिनांक 28 जुलाई से 4 अगस्त 2008 तक, कुल आठ दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, को अवकाश बैतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. एफ-1(ए)150-1990-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2010 द्वारा श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, महानिरीक्षक, जेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 17 मई से 11 जून 2010 तक, कुल छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति दिनांक 12 एवं 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ते हुए प्रदान की गई थी।

(2) राज्य शासन द्वारा श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को उपरोक्तानुसार स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश में से दिनांक 7 से 11 जून 2010 तक, कुल पांच दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण उक्त अवधि का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2010 की शेष कण्ठकाएं यथावत् रहेगी।

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. एफ-1(ए)107-86-ब-2-दो.—श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 अगस्त 2010 के विज्ञप्ति अवकाश लाभ सहित दिनांक 2 से 5 अगस्त 2010 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (एक्स इंडिया) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्रीमती अरुणा मोहन राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अरुणा मोहन राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अअवि), पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अर्ति. पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे को अवकाश बैतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

क्र. एफ-1(ए)145-90-ब-2-दो.—श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर को मित्र की पुत्री के विवाह संबंध में वर्कशायर इंलैण्ड (यू.के.) जाने हेतु दिनांक 25 जुलाई 2010 के विज्ञप्ति अवकाश लाभ सहित दिनांक 14 से 24 जुलाई 2010 तक, कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश

निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री आलोक रंजन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर, जोन ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे, उक्त पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. एफ-1(ए)272-80-ब-2-दो.—श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित दिनांक 2 से 5 अगस्त 2010 तक, कुल 4 दिवस का अर्जित अवकाश (एक्स इंडिया) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे की अवकाश अवधि में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव,

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

क्र. एफ-1(ए)165-1989-ब-2-दो.—श्री यू. सी. छड़गी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2010 द्वारा दिनांक 31 मई से 5 जून 2010 तक, छ: दिवस के अर्जित अवकाश दिनांक 30 मई एवं 6 जून 2010 के विज्ञप्त अवकाश का लाभ सहित स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत अवकाश से अधिक अवकाश लाभ लिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा उन्हें दिनांक 6 से 11 जून 2010 तक, छ: दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 12 एवं 13 जून 2010 के विज्ञप्त अवकाश सहित स्वीकृत किया जाता है।

(2) राज्य शासन द्वारा श्री यू. सी. छड़गी, भापुसे को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 10-11 एवं 17-18 जुलाई 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित स्वीकृत किया जाता है।

(3) श्री यू. सी. छड़गी, भापुसे, की दिनांक 10-18 जुलाई 2010 तक अवकाश अवधि में श्री योगेश मुदगल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(4) यू. सी. षडंगी, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर, उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश से लौटने पर श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे को स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(6) अवकाशकाल में श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव।

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. एफ 2-73-2010-छब्बीस-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, प्रधान मजिस्ट्रेटों को पदानिहित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अ.	किशोर न्याय जिलों के प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं क्र. बोर्ड और नाम पदनाम	उसका मुख्यालय	(1)	(2)	(3)	(4)
1	बड़वानी	बड़वानी श्रीमती उषा गेडाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी				
2	दमोह	दमोह श्रीमती नीलम मिश्रा, जे. एम. एफ. सी., दमोह				

(1)	(2)	(3)	(4)
3	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर कु. सपीक्षा सिंह, जे. एम. एफ. सी., नरसिंहपुर	
4	पन्ना	पन्ना श्रीमती सिद्धी मिश्रा, जे. एम. एफ. सी., पन्ना	
5	राजगढ़	राजगढ़ श्री शमरोज खान, जे. एम. एफ. सी., राजगढ़	
6	सिवनी	सिवनी श्रीमती कृष्णा परस्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी।	

No. F-2-73-2010-XXVI-2.—In exercise of the power conferred by sub section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Principal Magistrates in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :—

SCHEDULE-I

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Districts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Barwani	Barwani	Smt. Usha Gedam, Chief Judicial Magistrate, Barwani
2	Damoh	Damoh	Smt. Neelam Mishra, JMFC, Damoh
3	Narsingpur	Narsingpur	Ku. Samiksha Singh, JMFC, Narsingpur
4	Panna	Panna	Smt. Siddhi Mishra, JMFC, Panna
5	Rajgarh	Rajgarh	Shri Shamroj Khan, Chief Judicial Magistrate, Rajgarh
6	Seoni	Seoni	Smt. Krishna Paraste, Chief Judicial Magistrate, Seoni.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बीणा तेलंग, उपसचिव।

परिवहन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. एफ 22-31-10-आठ.—भारत शासन भूतल परिवहन मंत्रालय क्रमांक एसओ 444 (ई), दिनांक 12 जून 1989 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को पंजीयन चिह्न के उपयोग के लिये उसके समक्ष कॉलम (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कोड नंबर आवंटित करती है :—

सारणी

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	कोड नंबर
(1)	(2)
अनूपपुर	एम. पी.-65
सिंगरौली	एम. पी.-66
अशोकनगर	एम. पी.-67
बुराहनपुर	एम. पी.-68
अलीराजपुर	एम. पी.-69

No. F-22-31-10-VIII.—In pursuance of Government of India Ministry of Surface Transport Notification S. O. 444(e), dated 12th June 1989. The State Government hereby allot to the registering authority specified in column (1) of the Table below, the code no specified in the column (2) there of for use in registration mark :—

TABLE

Registering authority (1)	Code No. (2)
Anuppur	MP-65
Singroli	MP-66
Ashok Nagar	MP-67
Burahnpur	MP-68
Alirajpur	MP-69

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 23 जून 2010 को अतिथित करते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, श्री दीप कुमार के सरवानी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण करने के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय जबलपुर होगा, अर्थात् :—

राजस्व जिले

- (1) जबलपुर, (2) नरसिंहपुर, (3) दमोह, (4) सिवनी,
(5) सतना, (6) पन्ना, (7) शाहडोल, (8) कटनी.

F- No. 1-5-96-XXI-B (One) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-XXI-B(One), dated 23rd June 2010, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Deep Kumar Kesarwani, Additional Sessions Judge, Jabalpur as a Special Judge with Head Quarter at Jabalpur for the areas comprising in the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation namely :—

Revenue Districts

- (1) Jabalpur, (2) Narsinghpur, (3) Damoh, (4) Seoni,
(5) Satna, (6) Panna, (7) Shahdol, (8) Katni.

फा. क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश डैकेती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36, सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (1), (1-क) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 मई, 1981, को जहां तक कि उसका संबंध ग्लालियर में विशेष न्यायालयों के गठन से है और जो उसी दिन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई थी, आंशिक अतिथित करते हुए राज्य शासन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लेखित निम्नलिखित विशेष न्यायालयों का उक्त सारणी के कॉलम (3) में दर्शाए गए क्षेत्रों के अधीन आने वाले

मामलों के विचारण के संबंध में गठन करता है, अर्थात् :—

सारणी			(1)	(2)	(3)
अनुक्रमांक	विशेष न्यायालय	क्षेत्र			
(1)	(2)	(3)			
1.	पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.	ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2, 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़ कर ग्वालियर सेशन खण्ड के समस्त क्षेत्र.	2	Court of II nd Additional Sessions Judge, Gwalior	the Special Courts at serial No. 2, 3 and 4 under Sessions Division Gwalior. Police Station Murar, Jhansi Road, Campu, Janakganj, Gola ka Mandir, Bahodapur, Mahila Thana Padav, GRP (BG, NG) RPF under Sessions Division Gwalior.
2.	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.	ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन पुलिस थाना मुरार, झांसी रोड, कम्पू जनकगंज, गोला का मंदिर बहोड़ापुर, महिला थाना पड़ाव, जी. आर. पी. (बी. जी., एन. जी.) आर. पी. एफ.	3.	Court of III rd Additional Sessions, Judge, Gwalior	Police Stations Ghatigaon, Mohana, Purani Chawni, Tigras, Panihar, Behat, Bijoli, Bhawarpura, Maharajpura, Hastinapur, Aroni and Utila under Sessions Division Gwalior.
3.	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.	सेशन खण्ड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना घाटीगांव, थोहना, पुरानी छावनी, तिगरा, पनिहार, बेहट, बिजौली, भंवरपुरा, महाराजपुर, हस्तिनापुर, अरोनी तथा उटीला.	4.	Court of 11 th Additional Sessions Judge, Dabra	Police Stations , Dabra Pichore, Antri, Billoo, Gizzora, Bhitarwar, Ballgada, Kaariya and Chinnore,under Sessions Division Gwalior.
4.	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा का न्यायालय.	सेशन खण्ड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना डबरा, पिछौर, आंतरी बिलौआ, गिजोरा, भितरवार, बेलगढ़ा, करिया तथा चिनौर.			मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

F. No.1-7-81-XXI-B(I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (1-A) and (2) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981), and in partial supersession of this Department's Notification F. No. 1-7-81-XXI-B(I), dated 19th May, 1981, which was published in Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) on the same date, as far as it relates to the constitution special courts at Gwalior, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby constitutes the special courts mentioned in column (2) of the Schedule below for the purpose of the said Act in relation to the trials of the cases falling under areas as shown in column NO. (3) of the said table namely :—

TABLE

No.	Special Court	Area
(1)	(2)	(3)
1	Court of Vth Additional Sessions Judge, Gwalior	All areas of Gwalior Sessions Division excluding the territorial jurisdiction given to

फ. क्रमांक 17(ई)131-इककीस-ब(दो) 10.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश को ई-भूगतान प्रणाली से, जो कि वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन की परियोजना है, संबंधित संविदा/करार निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

पृ. क्रमांक 17(ई)131-इककीस-ब(दो) 10.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1)के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

Bhopal, the 9th July 2010

F. No. 17-E-131-XXI-B(II)-2010.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 299 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby authorises Commissioner, Treasuries and Accounts, Madhya Pradesh for executing contracts/agreements relating to E-payment system which is a project of Department of Finance, Government of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. J. KHAN, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

फा. क्रमांक 1(बी)3-2004-इकॉस-ब(दो).—इस विभाग के समसंचयक आदेश दिनांक 22 जून 2010 जिसके पृष्ठांकन प्रतिलिपि में टंकित त्रुटि हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है। राज्य शासन इस विभाग के समसंचयक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2004 एवं 16-7-2004 द्वारा नियुक्त निम्न शा. अभिभाषक/लेखाधि. अति. लोक अभि. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है। यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है—

1. श्री गिरीश मुंगी, शा. अभिभाषक/लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 6-10-2004 से प्रथम तीन वर्ष 6-10-2007 तदूपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 6 अक्टूबर 2010 तक।
2. श्री गजेन्द्र वशिष्ठ, अति.शा. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदूपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक।
3. श्री हेमन्त शर्मा, अति. शा.अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदूपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक।
4. श्री जगदीश वर्मा, अति. शा.अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदूपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक।
5. श्री गोपाल चन्द्र तिवारी, अति. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदूपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक।
6. श्री हिमलेश शर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, तहसील सोनकच्छ, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदूपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक।

7. श्री भगवान सिंह चूड़ावत, अति. शा.अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, तहसील कनौद, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदूपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. 1770-एफ-10-70-07-तेर्ईस-योआ.सां..—मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 4 (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के जिला झाबुआ तथा जिला सौंधी की जिला योजना समितियों में, अशासकीय सदस्यों की संख्या का निर्धारण क्रमशः 10, 10 किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. 1771-एफ-10-70-07-तेर्ईस-यो.आ.सां..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3)के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-10-70-07-तेर्ईस-यो.आ.सां. दिनांक 16 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव।

Bhopal the 16th July 2010

No. 1772-F.10-70-07-XXIII-P.E.S.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 4 of Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam 1995 (No. 19 of 1995) the State Government hereby declares that there shall be 10 non-official members in the each of District Planning Committees of districts Jhabua and Sidhi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
G. P. KABIRPANTHI, Dy.Secy.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्र. एफ-11-4-2009-तीस.—राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आकर्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक एफ 11-4-09-तीस, दिनांक 18 जनवरी 2010 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आकर्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964)की धारा 3 की उपधारा (1) एवं धारा 16-में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है।

अतएव, राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम, 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे पेरे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिए प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है :—

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र	स्मारक का नाम	राज्यस्वीय क्षेत्र जो संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्र सीमांक	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	शिवपुरी	पिछौर	कुण्डलपुर	मध्ययुगीन दो ग्राम	खसरा नं. बुर्ज एवं मठकुण्डरछा	पटवारी हल्का नंबर 244 मण्डप, कुण्ड व स्थल पर पड़ी प्राचीन मूर्तियां	0.010 0.050 0.270 0.020 0.120 0.010 0.010	शासकीय शासकीय निजी निजी शासकीय शासकीय शासकीय
					245 246 पड़ी प्राचीन 247 248 249 250			हां

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बीना वर्मा, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2010

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब-(एक).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो “मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1”

दिनांक 17 अप्रैल 1998 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

संशोधन

(1) उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2, 38, 46-1 और 47-1 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों क्रमसः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“ 2	श्रीमती शशिकला चन्द्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
38	श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 रतलाम	रतलाम	रतलाम
46-1	श्री वी. एल. झा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989, नीमच	नीमच	नीमच
47-1	श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.	कटनी	कटनी”.

(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F.No. 1-6-89-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6/89-XXI-B(I) dated 3rd April, 1998, which was published in the “ Madhya Pradesh Gazette Part-I” dated 17th April, 1998, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 2, 38, 46-1 and 47-1 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely :—

S. No.	Name and designation of the Judge	Special Court	Local area/Session division
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	Smt. Shashi Kala Chandra, 1st Additional Sessions Judge, Ujjain.	Ujjain	Ujjain
38.	Shri Vinod Kumar Dubey (Senior) Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Ratlam.	Ratlam	Ratlam
46-1	Shri V. L. Jha, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Neemuch.	Neemuch	Neemuch
47-1.	Shri Avnindra Kumar Singh, Additional Sessions Judge, Katni.	Katni	Katni.”.

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव,

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. एफ. 2-01-2010-एक-927.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डॉ. सुतेश शाक्या, निज सचिव को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्टॉफ ऑफिसर के पद पर वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/-पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 15,600-39,100+6,600/- में पदोन्नत किया जाता है।

2. आयोग में स्टाफ अधिकारी का पद एकांकी पद है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2002-3-1, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।

हस्ता।/-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2010

क्र. 1844 मप्रविनिआ-2010.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 87(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 2159-विनिआ-04, दिनांक 10 अगस्त, 2004 एवं अधिसूचना क्रमांक 1425-विनिआ-2006, दिनांक 3 जून, 2006 को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्वारा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है।

2. राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 88 में परिभाषित विषयों पर सलाह देना होगा।

3. राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये “राज्य परामर्श-दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली विनियम, 2004” द्वारा शासित होगी।

4. राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से तीन वर्ष का होगा।

5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मंत्रालय, भोपाल भी समिति के पदेन सदस्य होंगे। राज्य सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे—

क्रमांक (1)	सदस्य का नाम (2)	पता (3)	वर्ग (4)
1	डॉ. भावना झारिया	प्रबाचक (इलेक्ट्रानिक्स), शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर।	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
2	श्री चन्द्रकांत गौर	कृषक, हरदा द्वारा भारतीय किसान संघ, 103/4, शिवाजी नगर, भोपाल।	कृषि

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री आर. के. मिश्र	मुख्य विद्युत् वितरण अधियंता द्वारा महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, तृतीय तल, महाप्रबंधक भवन, इंदिरा मार्केट, जबलपुर (म. प्र.) 482068.	परिवहन
4	श्री द्वारिका गुप्ता	विंध्य चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, श्रीमान चौक बाजार, सतना—485001.	उद्योग
5	श्री एम. के. देव	कंसोलिडेटेड इनर्जी कंसलटेंट्स लिमिटेड, इनर्जी टावर, 64-बी सेक्टर, चेतक पुल के समीप, गोविंदपुरा, भोपाल (म. प्र.).	वाणिज्य एवं उद्योग
6	श्री गौतम कोठारी	श्रेयांस, 231, साकेत नगर, इंदौर 452018.	उद्योग
7	श्री हेमंत तिवारी	मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ बी-138, पैलेस ऑर्चर्ड, कोलार रोड, भोपाल.	प्रभिक/कर्मचारी
8	श्री खालिद रहमान	ग्वालियर इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, मेसर्स नूर टैक एण्ड फैब प्रा. लिमिटेड, रेलवे लाईन के समीप, औद्योगिक क्षेत्र, ग्वालियर (म. प्र.).	उद्योग
9	श्री मनोहर चौधरी	किसान विकास मंच समिति जिला बुरहानपुर, कृषि भवन, कृषि उपज मण्डी, बुरहानपुर (म. प्र.).	कृषि
10	डॉ. प्रवीण अग्रवाल	सजग प्रकोष्ठ समिति श्री बृजभूषण हाऊस, दौलतगंज, ग्वालियर 474001.	उपभोक्ता
11	श्री राधवैय्या	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, गोविंदपुरा, भोपाल.	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
12	श्री राहुल दोन्दे	अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत खेरमाई मंदिर, राइट टाउन, जबलपुर.	गैर-शासकीय संगठन
13	श्री एस. एस. रघुवंशी	वरिष्ठ नागरिक मण्डल, ई-6/2, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016.	उपभोक्ता
14	श्री सुरेश कुमार गोपीकिशन अग्रवाल	छिंदवाड़ा चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, गांधी गंज, छिंदवाड़ा 480002.	वाणिज्य
15	श्री श्यामबाबू अग्रवाल	राजधानी वस्त्र व्यवसायी संघ, राजधानी भवन, लालसिंह पार्क, 39 लखेरापुरा, भोपाल.	वाणिज्य
16	डॉ. वीरेन्द्र कुमार गंगवाल	फेडरेशन ऑफ एम. पी. चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, उद्योग भवन, द्वितीय तल, 129-ए मालवीय नगर, भोपाल 462003.	वाणिज्य

(1)	(2)	(3)	(4)
17	श्री विपिन कुमार जैन	म. प्र. लघु उद्योग संघ, ई-2/30 अरेरा कालोनी, महावीर नगर, भोपाल 462016.	उद्योग

6. आयोग के सचिव राज्य सलाहकार समिति के पदेन सचिव होंगे।

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, dated 15th July, 2010

No. 1844-MPERC-2010.—In exercise of powers under Section 87(1) of Electricity Act, 2003 and in supersession of earlier notification No. 2159-MPERC-2004, dated 10th August, 2004 and Notification No. 1425-MPERC-2006, dated 3rd June, 2006, the Commission hereby re-establishes the State Advisory Committee from the date of publication of this notification in the M. P. Official Gazette.

2. The object of the State Advisory Committee shall be to advise the Commission on the matters listed under section 88 of the Electricity Act, 2003.

3. The functioning of the State Advisory Committee shall be governed by the MPERC Constitution of State Advisory Committee and its functioning Regulation 2004.

4. The term of post of Members of the State Advisory Committee shall be three years from the date of publication of the notification in the official gazette.

5. The Chairman and the Members of the Commission shall be ex-officio Chairman and Members of the State Advisory Committee respectively and Principle Secretary of Food, Civil Supplies and Consumers Protection, GoMP shall also be the ex-officio member of the Committee. The rest of the Members of the State Advisory Committee shall be as follows :—

S. No. (1)	Name (2)	Address (3)	Category (4)
1	Dr. Bhawana Jharia	Reader (Electronics), Government Engineering College, Jabalpur	Academic & Research
2	Shri Chandrakant Gaur	Farmer, Harda C/o Bhartiya Kisan Sangh, 103/4, Shivaji Nagar, Bhopal	Agriculture
3.	Shri R. K. Mishra	Chief Electrical Distribution Engineer, C/o General Manager West Central Railway, 3rd Floor, GM's Building Indira market, Jabalpur (M. P.) 482 068	Transport
4	Shri Dwarika Gupta	Vindhya Chamber of Commerce and Industries, Shriman Chowk Bazar, Satna-485 001 (M.P.)	Industry

(1)	(2)	(3)	(4)
5	Shri M. K. Deb	Consolidated Energy Consultants Ltd. Energy Tower, 64-B-Sector, Near Chetak Bridge, P. O. Govindpura, Bhopal (M. P.)	Commerce & Industry
6	Shri Gautam Kothari	Shreyas, 231, Saket Nagar Indore-452 018	Industry
7	Shri Hemant Tiwari	Madhya Pradesh Bijli Karmachari Mahasangh, B-138, Palace Orchard, Kolar Road, Bhopal.	Labour/Employee
8	Shri Khalid Rehman	Gwalior Industries Association, M/S Noor Tech & Feb. Pvt., Ltd., Near Railway Line, Industries Area, Gwalior (M.P.)	Industry
9	Shri Manohar Choudhary	Kisan vikas Munch Samiti, Zila Burhanpur, Krishi Bhawan, Upaj Mandi, Burhanpur (M.P.)	Agriculture
10	Dr. Praveen Agrawal	Sajag Prakoshtha Samiti, Sri Brijbhushan House, Daulatganj, Gwalior-474001	Consumers
11	Shri B. V. Raghavaiah	Central Power Research Institute, Govindpura, Bhopal	Academic & Research
12.	Shri Rahul Donde	Akhil Bharatiya Grahak Panchayat, Khermai Mandir, Wright Town, Jabalpur.	NGO
13	Shri S. S. Raghuvanshi	Varishtha Nagrik Mandal, E-6/2, Arera Colony, Bhopal	Consumers
14	Shri Suresh Kumar Gopikishan Agrawal	Chhindwara Chamber of Commerce & Industries, Gandhi Gunj, Chhindwara-480002	Commerce
15	Shri Shyambabu Agrawal	Rajdhani Vastra Vyavasayi Sangh, Rajdhani Bhawan, Lalsingh park, 39 Lakherapura, Bhopal	Commerce
16	Dr. Virendra Kumar Gangwal	Federation of M. P. Chamber of Commerce and Industry, Udyog Bhawan, IIInd Floor, 129-A, Malviya Nagar, Bhopal 462 003	Commerce
17	Shri Vipin Kumar Jain	M. P. Laghu Udyog Sangh, E-2/30 Arera Colony, Mahavir Nagar, Bhopal-462 016	Industry

6. Secretary to the Commission shall be the ex-officio Secretary to the State Advisory committee.

By order of the Commission,
P K. CHATURVEDI, Commission Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 30 जून 2010

क्र. 887-भू-अर्जन-34-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	पड़वा पटवारी हल्का 29.	0.405 हे./ 1.00 एकड़	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	माचक उपनहर की छीपाबड़ी माझनर निर्माण हेतु संशोधित प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन, हरदा/अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंगसली ए.आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 5 जुलाई 2010

प्र. क्र. 02-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	खसरा नम्बर	कुल रकबा वाला रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज टिकारी	2 4 6	0.591 0.271 1.352	0.200 0.271 0.160	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01, सागर।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	9	0.817	0.600		
	10	0.926	0.080		
	100	0.656	0.656		
	7/4	0.117	0.117		
	7/6	1.214	0.163		
	8	0.210	0.190		
	101/1	0.631	0.631		
	101/2	0.146	0.146		
	102	0.340	0.340		
	103	0.142	0.142		
	124	1.623	1.623		
	125	0.825	0.825		
	151/125	1.834	1.834		
	152/125	0.833	0.833		
	104	0.409	0.409		
	105	2.016	1.200		
	106	0.332	0.332		
	107	0.166	0.166		
	108	0.332	0.332		
	111/1	0.315	0.315		
	112/1	0.210	0.210		
	113/2	1.782	1.497		
	113/1	0.243	0.243		
	114	1.061	1.061		
	145/113/1	0.243	0.243		
	109	0.202	0.202		
	110	0.166	0.166		
	111/2	0.315	0.315		
	112/2	1.214	1.214		
	144/113/1	0.543	0.543		
	145/113/2	0.720	0.720		
	116	0.259	0.259		
	118	0.777	0.777		
	119	0.275	0.275		
	120	0.364	0.364		
	122	0.142	0.142		
	121/2/2/1	1.497	1.497		
	121/2/1/2/2	1.497	0.400		
	121/2/1/1	1.537	1.123		
	121/2/2/1	1.497	1.110		
	126	1.157	1.157		
	127	6.945	6.945		
	128	0.300	0.300		
	129	1.757	1.757		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	130	4.270	4.270		
	148/123	1.598	1.598		
	131/2	1.200	1.200		
	146/124	0.368	0.368		
	योग . .	48.237	41.521		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज, जिला रायसेन में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 5 जुलाई 2010

क्र. 508-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	रक्का	धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	नलखेड़ा	3 एल माईनर निजी भूमि ग्राम रिण्डोली।	0.28	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर।	बिजनाखेड़ी तालाब की माईनर 3 एल एवं टेल माईनर के निर्माण हेतु।
		3 एल माईनर निजी भूमि ग्राम टोलक्याखेड़ी।	2.28		
		योग . . 3 एल माईनर	2.56		
		टेल माईनर निजी भूमि ग्राम रिण्डोली।	0.29		
		टेल माईनर निजी भूमि ग्राम कोहडिया।	2.32		
		योग : टेल माईनर	2.61		
		महायोग . . 3 एल माईनर	5.17		
		एवं टेल माईनर।			

नोट— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर-नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. क-996-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग	क्षेत्रफल		
			कुल	कुल रकम		
			खसरा नं.	(हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बीना	किरोद	7	1.93	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सागर संभाग क्र. 1.	बीना-कुरवाई मार्ग से बीना आगासौद कंजिया मार्ग किरोद से किरवदा मार्ग.
		कालूखेड़ी	15	2.34		
		मुडियानायक	21	5.34		
		भिलावली	24	2.55		
		किरवदा	8	1.20		
		कुल योग	75	13.36		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, बीना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. 8अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग	क्षेत्रफल		
			(एकड़/हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सीहोर	इछावर	बोरदीकलौ	12.62 एकड़	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.		बोरदीकलौ जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			5.107 हे.			

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय, इछावर में प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजयसिंह गंगवार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. 18-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ग्वालियर	घाटीगांव	पार		4.910	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 19-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ग्वालियर	चीनौर	बनवार		24.509	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 20-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	पुराबनवार	1.672	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 21-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	धाटीगांव	झांकरी	20.195	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 22-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	धाटीगांव	पिपरडआ	3.062	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ग्वालियर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 7-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	द्वारिकागंज	12.110	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र 2, जिला ग्वालियर।	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।

फार्म एक (3)

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य

नहर R.D. 72.88 किमी.

से 110 किमी. के निर्माण

हेतु आने वाली कृषकों

की भूमि का मुआवजा

निधरण प्रस्ताव

सर्वे क्र.	सर्वे क्र.	नहर में आने का कुल वाले क्षेत्र का रकबा	रकबा
338 मि.-1	0.290	0.25	
338 मि.-2	0.100	0.100	
336	0.350	0.01	
337	0.200	0.02	
342	0.320	0.32	
346	0.560	0.340	
347	1.080	0.410	
352	0.800	0.330	
353 मि.-1	0.640	0.390	
382	2.010	1.05	
396	3.340	0.17	
397	1.400	0.36	
398	1.400	0.52	
355	1.050	0.38	
354	1.080	0.74	
349	0.450	0.160	
348	0.450	0.14	
344	0.450	0.13	
328	0.620	0.020	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		339	0.040	0.040	
		343	0.230	0.230	
		387	1.770	0.90	
		356	0.580	0.16	
		343/426	0.360	0.29	
		421	1.090	0.760	
		340	0.04	0.02	
		341	0.67	0.03	
		399	4.96	1.30	
		401	0.49	0.49	
		394 मि.-3	0.84	0.61	
		393	1.34	0.72	
		391	3.14	0.02	
		383	0.84	0.12	
		388	1.14	0.58	
		कुल . .		<u>12.11</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) व्याख्यालय, भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 8-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपर्योगों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
ग्वालियर	ग्वालियर	टांकोली	2.480	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
[फार्म एक (3)]					
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 किमी. से 110 किमी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव					
सर्वे क्र.	सर्वे क्र.		नहर में आने		
			का कुल वाले क्षेत्र का		
			रक्बा	रक्बा	
498			0.690	0.01	
500			0.850	0.20	
501			1.120	0.01	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		508	0.210	0.17	
		509	0.420	0.37	
		511	0.630	0.37	
		519	0.310	0.07	
		507 मि. 1	0.260	0.16	
		510	0.210	0.19	
		516	0.520	0.37	
		517	0.520	0.32	
		529	1.390	0.020	
		564	1.000	0.100	
		507/2	0.260	0.12	
		कुल ..		<u>2.48</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी गवालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नम
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
गवालियर	गवालियर	निढ़ावली	9.330	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 जिला गवालियर	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

[फार्म एक (3)]

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य

नहर R.D. 72.88 किमी.

से 110 किमी. के निर्माण

हेतु आने वाली कृषकों

की भूमि का मुआवजा

निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्र.	सर्वे क्र.	नहर में आने का कुल वाले क्षेत्र का रकबा	रकबा
599		0.600	0.03
600		0.420	0.21
601		0.110	0.11
602/1		0.61	0.08
603		0.790	0.31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		609	0.210	0.18	
		610	0.640	0.37	
		615	0.560	0.46	
		617	1.250	0.87	
		618	0.490	0.43	
		619	0.290	0.27	
		629	0.480	0.08	
		668	1.750	0.32	
		669	1.490	0.43	
		674	0.840	0.28	
		790	0.840	0.53	
		785	1.070	0.20	
		786	0.730	0.13	
		788	0.420	0.40	
		789	0.900	0.45	
		791	0.270	0.03	
		795	0.270	0.10	
		796	0.270	0.11	
		797	0.170	0.17	
		798	0.140	0.14	
		799	0.130	0.05	
		800	0.380	0.25	
		801	0.530	0.37	
		802	0.450	0.37	
		630	1.690	0.52	
		602/2	0.220	0.22	
		602/3	0.070	0.070	
		604	0.20	0.02	
		611/1	0.25	0.07	
		611/2	0.32	0.14	
		807	1.52	0.14	
		806	0.28	0.02	
		804	0.41	0.04	
		803	0.31	0.30	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		811	0.40	0.03	
		612	0.18	0.02	
		614	0.67	0.01	
		कुल ..	<u>9.33</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2010

क्र. 5842-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण	भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम-जामलापानी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि	1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रधिकारी अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ब.नं.-155	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
		प.ह.नं.-18	0.339 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा।	जामलापानी जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण।
		रा.नि.मं.-सौसर.			

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौंसर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-प्र.क्र. 06-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है।
			कुल क्षेत्रफल सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भिण्ड	भिण्ड	बरही	1026	0.464	आयुक्त, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग, ग्वालियर वास्ते प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल।	भिण्ड-इटावा मार्ग पर बॉर्डर चेकपोस्ट निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन।
			1034	0.032		
			1025	0.210		
			1021	0.120		
			1020	0.500		
			1018	0.538		
			1019	0.560		
			1013	0.391		
			1012	0.210		
			1004	0.131		
			1010	0.290		
			1011	0.140		
			1009	0.220		
			1005	0.079		
			1006	0.120		
			1007	0.320		
			1008	0.180		
			682	0.222		
			681	0.020		
			683	0.126		
			674	0.310		
			676	0.009		
			678	0.044		
			679	0.110		
			680	0.878		
			1376	0.090		
			1375	0.190		
			1377	0.880		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1378	0.157		
			1373	0.352		
			1374	0.370		
			1372	0.247		
			1371	0.288		
			1343	0.200		
			1345	0.355		
			1344	0.370		
			1342	0.080		
			1341	0.070		
			1346	0.166		
			1340	0.010		
			1339	0.200		
			1337	0.150		
			1336	0.180		
			1335	0.111		
			1338	0.030		
			1128	0.480		
			1129	0.230		
			1130	0.137		
			1134	0.110		
			1133	0.140		
			1132	0.251		
			1135	0.066		
			1136	0.035		
			1137	0.074		
			1332	0.069		
			1334	0.020		
			1556	0.019		
			1557	0.233		
			1558	0.049		
			1022	0.142		
			1024	0.057		
			1035	0.015		
		योग		12.826		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. 1663-भ.अ.अ.-2010-11-रा.प्र.क्र. 1-अ-82-वर्ष 09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	तेन्दूखेड़ा	पिंडरई पांजी	0.90	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ./स.) संभाग, दमोह,	अजीतपुर-खमरिया पहुंच मार्ग हेतु।

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 13 जुलाई 2010

प्र. क्र. 55-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	खडेही	7.52	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी।	बरियारपुर बांयी नहर की उम्राहा शाखा नहर के अन्तर्गत (1) सरबई डिस्ट्रीब्यूटी नं. 2 की माइनरो सहित, (2) खडेही वितरक नहर की खडेही दांयी माइनर क्र. 1 एवं 2 हेतु भू-अर्जन।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उम्राहा शाखा नहर के अन्तर्गत (1) सरबई डिस्ट्रीब्यूटी
नं. 2 की माइनरो सहित, (2) खडेही वितरक नहर की खडेही दांयी माइनर क्र. 1 एवं 2 हेतु भू-अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 62-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	चक रसूला-2	2.756	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर तक पर भू-अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 63-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	गुमानपुर नथाताल	5.433	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की गुमानपुर दांयी माइनर, कंदैला दायी माइनर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की गुमानपुर दांयी माइनर, कंदैला दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 64-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हें. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	मिश्रनपुरवा	7.335	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर, बिजासन बांयी माइनर रामपुरघाट दांयी माइनर, फतेहपुर दांयी माइनर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर, बिजासन बांयी माइनर रामपुरघाट दांयी माइनर, फतेहपुर दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 65-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हें. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	कंदैला	15.176	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, कंदैला बांयी माइनर, गुमानपुर, नयाताल दांयी नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर, कंदैला दांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, कंदैला बांयी माइनर, गुमानपुर, नयाताल दांयी नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर, कंदैला दांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर तक पर भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 66-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	गोयरा	18.550	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरण नहर, कंदैला बांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर ठकुराइनपुरवा नम्बर 2 की गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 1, गोयरा दांयी सबमाइनर क्र. 2, गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 3.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, कंदैला बांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर ठकुराइनपुरवा नम्बर 2 की गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 1, गोयरा दांयी सबमाइनर क्र. 2, गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 3 तक पर भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 68-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	कुर्मिनपुरवा	4.200	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की कुर्मिनपुरवा माइनर गुमानपुर मरकटहार वाई नहर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की कुर्मिनपुरवा माइनर, गुमानपुर मरकटहार वाई नहर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 69-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	अजीतपुर	0.420	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी।	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर तक पर भू-अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 70-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	बछेड़ाखेड़ा	5.280	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी।	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बछेड़ाखेड़ा दाई नहर एवं हाजीपुर दाई नहर।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बछेड़ाखेड़ा दाई नहर एवं हाजीपुर दाई नहर तक पर भू-अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 71-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छत्तरपुर	गौरिहार	कौथेहा	0.660	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर तक पर भू-अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 72-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छत्तरपुर	गौरिहार	बसराही	4.140	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बसराही वाई माइनर एवं अजीतपुर वाई माइनर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बसराही वाई माइनर एवं अजीतपुर वाई माइनर तक पर भू-अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 73-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	नीबेखेड़ा	11.800	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर क्र. 2 माइनर, खड़ेही दाई माइनर एवं सरबई वितरक नहर क्र. 2 माइनरों सहित।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर की नीबेखेड़ा बाई माइनर, खड़ेही दाई माइनर एवं सरबई वितरक नहर क्र. 2 माइनरों सहित भू-अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 76-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	फतेहपुर	0.371	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की फतेहपुर दांयी माइनर।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की फतेहपुर दांयी माइनर तक भू-अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 77-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छत्तीसगढ़	गौरिहार	रामपुर घाट	2.700	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की रामपुरघाट दांयी माइनर एवं फतेहपुर दांयी माइनर.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की रामपुरघाट दांयी माइनर एवं फतेहपुर दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.					
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.					

प्र. क्र. 78-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छत्तीसगढ़	गौरिहार	गुमानपुर मरकटहार	1.500	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की गुमानपुर मरकटहार बांयी माइनर.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की गुमानपुर मरकटहार बांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.					
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.					

प्र. क्र. 90-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	व्यास बदौरा	8.850	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं उमरी माइनर.
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बदौरा वितरक नहर एवं उमरी माइनर का भू-अर्जन.				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भावना बालिंबै, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जुलाई 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र 645-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	लालपुर	3.020	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-नागौद,	पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. सतना के विस्तार हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र 646-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	सितपुरा	7.179	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-नागौद,	पावरग्रिड कापौरेशन आफ इंडिया लि. सतना के विस्तार हेतु,

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 3-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	बैरसिया	धतुरिया	45	0.500	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर	संजय सागर (बाह)
			48	0.800	परियोजना, बाह नदी, संभाग,	परियोजना की नहर निर्माण हेतु,
			42	0.200	गंजवासौदा.	
			38	0.200		
			37	1.000		
			54	0.450		
			90	1.000		
			112	0.100		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			113	0.200	
			114	0.100	
			93	0.400	
			94	0.300	
			144/1	0.300	
			144/2	0.360	
			243	0.200	
			242	0.200	
			244	0.450	
			246	1.000	
			644	0.150	
		योग .		7.910	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) बैरसिया में देखा जा सकता है।

क्र. 4-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	बैरसिया	पुराखाना	88	0.162	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर	संजय सागर (बाह)
			89	0.504	परियोजना, बाह नदी, संभाग,	परियोजना की नहर निर्माण
			94	0.234	गंजबासौदा,	हेतु.
			98	0.126		
			121/2	0.106		
			120	1.400		
			229	0.300		
			254	0.490		
			371	3.00		
			372	0.500		
			377/1/ख	1.500		
			377/2	0.200		
			369	1.400		
			382	0.100		
			394	1.400		
			394/447	0.500		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			398	0.100	
			401	0.200	
			403	0.600	
		योग.		12.822	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) बैरसिया में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 1078-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 30-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. मे.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	गोठान्या	26.571	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)	लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 19 जुलाई 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		कुल रकम रकम	अर्जित किये जाने वाला रकम (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		खसरा	लगभग क्षेत्रफल					
		नम्बर						
रायसेन	सिलवानी/ इमलिया	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		58	0.559	0.486	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन।		साजखेड़ा तालाब योजना।	
		57	1.266	0.919				
		56/2	0.226	0.158				
		83	0.364	0.364				
		71	0.599	0.546				
		70	0.279	0.279				
		59	0.202	0.202				
		60	0.862	0.862				
		48	9.179	5.860				
		49	0.283	0.194				
		69	1.343	1.343				
		61	0.125	0.125				
		66	2.853	2.853				
		64	0.632	0.632				
		65	0.470	0.470				
		53	0.722	0.089				
		100	0.482	0.482				
		104	0.251	0.251				
		106	0.522	0.522				
		163	0.101	0.081				
		50/1	1.639	0.129				
		67	0.555	0.555				
		68/3	0.583	0.583				
		68/1	1.133	1.133				
		68/2	1.133	1.133				
		73/1	2.035	1.959				
		76	0.278	0.278				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	381/72/2/2		0.670	0.670		
	77		1.453	1.453		
	74,75/1/1		0.870	0.870		
	74,75/2/1		0.546	0.546		
	74,75/1/2		1.619	1.619		
	74,75/2/2		1.351	1.351		
	81/2		0.065	0.065		
	81/1		0.526	0.526		
	80/2/2/2, 90,91,92,93		0.809	0.809		
	87		0.089	0.089		
	88		0.182	0.182		
	80/1,90,91, 92, 93.		0.363	0.363		
	122/2		1.032	1.032		
	85/1		0.409	0.409		
	195		0.194	0.122		
	197/1		0.522	0.049		
	191		0.036	0.036		
	187/1		0.202	0.097		
	45,46/1		10.267	2.145		
	85/2		0.202	0.202		
	187/2		0.215	0.089		
	45,46/2		10.117	8.159		
	80/2/1, 90,91,92,93		1.214	1.214		
	80/2/2/1, 90,91,92,93		0.709	0.709		
	94		0.057	0.057		
	98/1		0.130	0.130		
	80/2/2/3, 90,91,92,93		0.809	0.809		
	97		0.097	0.097		
	98/2		0.611	0.611		
	101		0.291	0.291		
	190		0.049	0.049		
	188		0.348	0.348		
	168		0.125	0.085		
	166/2		0.352	0.352		
	107		0.065	0.041		
	122/1/2		1.250	1.250		
	123/1		0.145	0.145		
	126,127/2		0.320	0.320		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	354,355		1.546	0.558		
	108		0.065	0.028		
	110		0.024	0.012		
	202,203/2		2.221	0.271		
	196		0.450	0.057		
	170		0.093	0.049		
	392/152		0.028	0.016		
	166/1		0.081	0.081		
	165		0.008	0.008		
	164/1/1		0.024	0.024		
	162		0.036	0.020		
	164/1/2		0.085	0.085		
	164/2		0.259	0.259		
	122/1/3		1.230	1.230		
	123/2		0.146	0.146		
	126,127/3		0.263	0.263		
	129		0.057	0.057		
	122/1/1		0.666	0.666		
	126,127/1		0.230	0.230		
	122/1/1/2		0.566	0.566		
	125		0.251	0.251		
	128		0.279	0.279		
	360,361/1		0.566	0.405		
	132		0.291	0.291		
	133		0.247	0.247		
	134		0.247	0.247		
	135		0.793	0.793		
	136,367/1		1.684	1.319		
	368		0.069	0.069		
	358		0.773	0.101		
	136,367/2		1.214	1.214		
	136,367/3		1.214	0.202		
	365		0.210	0.210		
	370		4.735	4.512		
	371,372,373		1.287	1.287		
	363/1		0.097	0.097		
	307/1		0.546	0.081		
	363/2		0.041	0.041		
	364/1		0.603	0.364		
	307/2		0.898	0.198		
	309,310/1		1.982	0.041		
	376		0.223	0.223		
	377/1/1/1/		0.967	0.506		
	302		0.526	0.130		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	303		0.914	0.041		
	379/4		0.129	0.129		
	304/1		0.930	0.425		
	379/2		0.283	0.283		
	378/2		1.011	0.372		
	375		0.202	0.202		
	379/3/2/2					
	378/1/2/2		0.555	0.304		
	379/1		0.336	0.336		
	377/1/1/2		0.786	0.786		
	375		0.381	0.381		
	379/3/2/1					
	377/2		0.978	0.978		
	377/1/2		0.975	0.550		
	375, 379/3/2/2		0.202	0.202		
	119, 120		0.636	0.304		
	121/2/1					
	119/120/		1.416	1.133		
	121/2/2					
	192/2		0.308	0.049		
	360, 361/2		0.542	0.542		
	364/2		0.644	0.506		
	364/3		0.648	0.020		
	119, 120, 121/1		0.202	0.202		
	73/2		2.036	2.036		
	73/3		2.036	2.036		
	73/4		2.040	2.040		
	381/72/2/1		0.951	0.951		
	156		0.676	0.008		
	योग		115.623	82.429		

सियरमउ	588	1.882	0.337
	595,596	2.910	0.081
	योग	4.792	0.418

देवकानी	2,3/1/1	1.364	1.364
	4/1	4.067	4.067
	5	1.043	1.043
	2,3/1/2	0.474	0.474
	2,3/2	0.733	0.733
	4/3	2.023	2.023
	10/2	0.231	0.231
	4/2/1	0.830	0.830
	4/2/2	1.214	1.214

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9/1/2/1.		1.214	1.214			
10/1/2/1		0.607	0.607			
9/1/2/2		1.416	1.416			
10/1/2/2		0.405	0.405			
9/1/1		1.777	1.777			
9/2/2		1.214	1.020			
9/2/1		3.193	0.668			
9/3		4.407	1.781			
9/4/2		1.214	1.214			
9/4/1/1		0.809	0.648			
9/4/1/2		2.380	2.096			
10/1/1		1.283	1.283			
15		0.352	0.352			
23,24,25,		1.594	1.416			
27/1						
11		1.716	1.716			
12		0.733	0.733			
26/1		0.150	0.150			
26/2		0.150	0.150			
26/3		0.145	0.145			
23,24,25,		0.534	0.061			
27/2/3						
16/1		1.230	0.445			
16/2		1.230	1.230			
42		0.372	0.061			
44/1/1		0.607	0.251			
45,52,53		0.522	0.121			
54/1/3						
47/1		0.659	0.659			
47/2		0.166	0.166			
45,52,53,		0.981	0.356			
54/1/1						
66		0.085	0.085			
69/2		0.100	0.093			
65/1/2		0.385	0.275			
67		0.316	0.316			
68		0.445	0.445			
69/1		0.021	0.021			
70		0.081	0.053			
65/1/1		0.182	0.089			
65/2		0.858	0.397			
योगा		45.512	35.894			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आमापानी खुर्द	1/2/1	0.303	0.162			
	2/1	1.518	0.708			
	1/2/2	0.506	0.506			
	2/2	1.315	1.315			
	1/1	1.065	1.065			
	4/1	0.405	0.405			
	5	0.174	0.174			
	75,77,78,79/2	2.023	0.041			
	2/3	1.271	0.923			
	87	0.105	0.105			
	89	0.599	0.599			
	94	0.789	0.364			
	202/90	0.194	0.194			
	92/2	0.704	0.291			
	18/2	3.642	2.857			
	19	3.990	2.169			
	18/1	8.077	8.077			
	4/2	1.727	1.727			
	6	1.433	1.433			
	3/1	1.692	1.692			
	3/2	1.174	1.174			
	7	0.793	0.793			
	8	3.703	3.703			
	9	0.255	0.255			
	10/1	0.809	0.809			
	17/1	1.833	1.833			
	10/2	0.368	0.368			
	17/2	0.809	0.809			
	12	0.922	0.922			
	13/1	7.369	7.369			
	15	0.817	0.817			
	13/2	1.619	1.619			
	73	0.684	0.223			
	75,77,78,79/1	1.044	0.801			
	22	5.299	0.097			
	81/1	0.206	0.206			
	82/3/4	0.405	0.405			
	83/3/2	0.085	0.085			
	97/1/2/2	0.519	0.397			
	81/2	1.214	1.214			
	84/1	0.401	0.401			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	82/3/1	0.809	0.809			
	86/3/1/2	0.446	0.446			
	84/2	0.797	0.797			
	82/3/2	0.857	0.857			
	82/1	0.101	0.101			
	83/1	0.032	0.032			
	86/1	0.151	0.151			
	97/2	1.335	1.206			
	82/2	0.101	0.101			
	83/2	0.032	0.032			
	86/2	0.146	0.146			
	97/3	1.340	0.975			
	82/3/3	0.405	0.405			
	83/3/1	0.987	0.987			
	97/1/2/4	0.234	0.234			
	86/3/1/1	0.728	0.728			
	97/1/2/5	0.890	0.850			
	86/3/2	0.186	0.186			
	88	0.882	0.850			
	97/1/1	0.672	0.041			
	75,77,78,79/3	1.040	0.291			
	86/3/3	0.109	0.109			
	90/1	0.364	0.364			
	90/2	0.384	0.384			
	92/1	0.648	0.211			
	91	2.306	0.729			
	186/1	0.672	0.672			
	186/2	0.821	0.591			
	184/2	1.161	0.640			
	184/1	1.982	0.081			
	97/1/2/1	1.627	1.627			
	97/1/2/3	0.129	0.129			
	97/1/2/6	1.395	1.145			
	योग	85.629	66.014			
	कुल योग	251.556	184.755			

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकार्य कार्यालय बेगमरंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 जून 2010

क्र. 620-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
 - (क) जिला—सतना
 - (ख) तहसील—मैहर
 - (ग) नगर/ग्राम—अमदरा
 - (घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.376 हेक्टर में.

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
81/2	0.261
83	0.052
33/2	0.063
योग . .	0.376

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 621-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
 - (क) जिला—सतना
 - (ख) तहसील—मैहर

- (ग) नगर/ग्राम—रोहनिया
- (घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.740 हेक्टर में.

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
226/1ख1	0.740
योग . .	0.740

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 622-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
 - (क) जिला—सतना
 - (ख) तहसील—मैहर
 - (ग) नगर/ग्राम—रैगवां
 - (घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.209 हेक्टर में.

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
196	0.209
योग . .	0.209

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 623-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—सुहौला
- (घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.314 हेक्टर में.

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
12	0.314
योग . .	<u>0.314</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 624-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—पनसोखरा
- (घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.425 हेक्टर में.

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
109/1	0.331
109/2	0.094
योग . .	<u>0.425</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 625-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—गुमेही
- (घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.718 हेक्टर में.

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
21	0.718

योग . . 0.718

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 626-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

- (ग) नगर/ग्राम—न्यायांव
(घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—1.484 हेक्टर में।

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
6	0.052
53/2	0.627
53/3	0.805
योग . .	1.484

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर, निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 जून 2010

क्र. क.-भू.अ.अ.-10-347.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) नगर/ग्राम—जमुनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.26 हेक्टर

खसरा	रकवा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
242 में से	0.13
240/1 में से	0.04
240/3 में से	0.05
240/2 में से	0.04
योग . .	0.26

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हिण्डोरिया, बिलाई मार्ग निर्माण हेतु।

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. क.-भू.अ.अ.-10-348.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पथरिया
(ग) नगर/ग्राम—करैया लखरौनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.82 हेक्टर।

खसरा	रकवा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
367 में से	0.26
380/3 में से	0.32
370 में से	0.09
368 में से	0.07
381 में से	0.08
योग . .	0.82

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पथरिया, किन्द्रहो, जेरठ मार्ग निर्माण हेतु।

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रत्लाम, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रत्लाम, दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. 2923-भू-अर्जन-2009-प्र. क्र. 13-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि

नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—बाजना
- (ग) ग्राम/ग्राम—रावटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.33 हेक्टर में।

सर्वे	रकवा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
466	0.10
542	0.10
543	0.08
559	0.05
योग . .	0.33

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—थोलावाड बॉर्ड (सरोजसरोवर) परियोजना की भीमपुरा उपनहर से निकलने वाली मायनर नहर के ऐक्सटेंशन कार्य में आने वाली भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2925-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 14-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) ग्राम—चमेली खेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.07 हेक्टर में।

सर्वे	रकवा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
9	0.60
14	0.37
15	0.10
योग . .	1.07

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कोलपुरा तालाब शीर्ष निर्माण में आने वाले भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2932-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 15-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त भूमि की उदत्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) ग्राम—सेमलखेड़ा एवं झारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.23 हेक्टर में।

सर्वे	रकवा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम-सेमलखेड़ा	
13	0.16
36/2	0.07
40/2	0.09
40/3	0.11
39/1	0.12
62	0.10
63/2	0.02
61	0.09
70/1	0.11

(1)	(2)
64	0.09
67/1	0.02
69	0.11
78/1	0.10
65	0.19
66	0.03
70/2	0.06
75	0.05
73/1	0.10
73/2	0.03
77/1	0.09
78/3	0.25
81/2	0.32
83/2	0.05
योग . .	<u>2.36</u>

ग्राम-झरी

30	0.02
33	0.07
34	0.15
35	0.11
36	0.10
39	0.10
40	0.16
41	0.13
42	0.08
74/1/1	0.22
74/1/3	0.05
74/1/4	0.05
61	0.02
62	0.18
68	0.02
74/1/5	0.06
77	0.08
78	0.17
79	0.06
80	0.04
योग . .	<u>1.87</u>
महायोग . .	<u>4.23</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सेमलखेड़ा तालाब नहर निर्माण में आने वाले भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2930-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 16-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रत्नाम
 - (ख) तहसील—सैलाना
 - (ग) नगर/ग्राम—आमलियाडोलखुर्द
 - (घ) लगभग क्षेत्र—4.29 हेक्टेयर

सर्वे	रकवा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम-आमलियाडोलखुर्द

45/1	0.13
45/2	0.13
23	1.79
25/7	0.70
41/3	0.40
15	0.20
25/1	0.19
28	0.50
25/8	0.25
योग . .	<u>4.29</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सेमलखेड़ा तालाब के शीर्ष निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 2 जुलाई 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—मझौली टेल वितरक नहर निर्माण हेतु
 (क) जिला—जबलपुर
 (ख) तहसील—मझौली
 (ग) ग्राम—नयागांव, प. ह. नं. 43/36, नं. बं. 363
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.29 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
88	0.14
86	0.05
87/1	0.10
योग . .	0.29

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मझौली टेल वितरक नहर निर्माण हेतु.
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. सागर परियोजना इकाई क्र. (1) बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश
 एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
 राजस्व विभाग**

बालाघाट, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्र. / /अ-82-वर्ष 09-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र

क्रमांक-422-एक-1-17-2010, जबलपुर, दिनांक 26 जून 2010 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) की अर्जेन्सी क्लाऊज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—बालाघाट
 (ख) तहसील—किरनापुर
 (ग) ग्राम—बगडमारा एवं रजेगांव प. ह. नं. 06
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.223 हेक्टेयर

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)

ग्राम—बगडमारा

(1)	(2)
82/1,2	1.714
85/1,2	0.185
86/1,2,3	0.093
87/1,2	1.206
88/1,2	0.072
92/3	0.078
150/1,2	0.027
81/1 से 10 तक	0.837
योग . .	4.212

ग्राम—रजेगांव

(1)	(2)
165/1	0.600
167/4	0.003
165/2	0.146
164	1.206
166/1,2	0.055
योग . .	2.011
कृष्ण संख्या	26 नग
कुल योग	6.223

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन बालाघाट गोंदिया राजमार्ग क्रमांक 11 में बार्डर चेक पोस्ट निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है।
 (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 मसूद अक्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश	(1)	(2)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	43	0.06
राजस्व विभाग	51	0.28
सागर, दिनांक 7 जुलाई 2010	कुल . .	2.34

प्र. क्रमांक 3 अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बीना

(ग) ग्राम—किरोद, कालूखेड़ी, मुडियानायक, भिलावली,
किरवदा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.36 हेक्टेयर

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हेक्टर में)

ग्राम—किरोद

(1)	(2)		
216	0.81	7/1	0.08
219	0.14	6/1	0.73
218	0.01	6/2	0.07
220	0.06	43/1	0.06
177/2	0.35	26/3	0.10
192	0.18	49	0.07
174	0.38	50, 30	0.09
कुल . .	1.93	51	0.21

ग्राम—कालूखेड़ी

25/2	0.40	6	0.24
27	0.04	7	0.48
25/1	0.33	59	0.16
26/1	0.08	8	0.35
46	0.22	14	0.30
45	0.06	29	0.11
35	0.04	32	0.07
55	0.02	33	0.06
47	0.08	35	0.02
48	0.20	25/3	0.03
44	0.03	31/2	0.04
41	0.30	34/1	0.01
42	0.20	34/2	0.01
		39/5	0.06

ग्राम—मुडियानायक

107/1	0.21
107/2	0.26
98	0.20
81/2	0.20
38/1	0.38
38/2	0.33
38/3	0.06
18/3	0.02
36	0.05
20/1	0.12
20/4, 20/5	0.36
20/2, 20/3	0.42
19	0.82
23/11	0.08
5/1	0.18
5/3	0.77
6/1	0.73
6/2	0.07
7/1	0.08
कुल . .	5.34

ग्राम—भिलावली

43/1	0.06
26/3	0.10
49	0.07
50, 30	0.09
51	0.21
6	0.24
7	0.48
59	0.16
8	0.35
14	0.30
29	0.11
32	0.07
33	0.06
35	0.02
25/3	0.03
31/2	0.04
34/1	0.01
34/2	0.01
39/5	0.06

(1)	(2)	(ग) ग्राम—भीमडोगरी, प. ह. नं. 57 (घ) लगभग क्षेत्रफल—14.822 हेक्टेयर.
58/1	0.02	खसरा
58/2	0.02	नम्बर
58/3	0.02	(1)
58/4	0.02	150
कुल . .	<u>2.55</u>	0.028
		147
		144
		140
		127
		130
		124
		111
		113
		153
		150
		149
		145
		143
		141
		126
		128
		110
		116
		154
		151
		161
		148
		156
		139
		142
		125
		131
		107
		115
		155
		152
		162
		योग . . <u>14.822</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बीना कुरवाई मार्ग से बीना आगासौद, कंजिया मार्ग, किरोद से किरवदा मार्ग.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं जिला सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 9 जुलाई 2010

क्र. भू-अर्जन-9(अ-82)-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—बिछिया

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बार्डर चैक पोस्ट निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खेरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 13 जुलाई 2010

प्र. क्र. 36-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—गौरिहार
- (ग) ग्राम—महोइकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—5.308 हेक्टर.

खसरा अर्जित रकबा

नम्बर (हेक्टर में)

(1) (2)

महोइकला पाइनर नं. 1

146	0.138	1447/1	0.095
932	0.011	1447/3	0.034
933	0.024	1449	0.064
933/2208	0.133	1450	0.055
935	0.171	1455/2	0.029
936	0.010	1463/2	0.061
937	0.148	1464	0.060
938/1	0.096	1465	0.052
938/2	0.100	1466	0.042
947	0.044	1474	0.050
967	0.272	1477	0.112
971/1	0.095	1478	0.053
971/2	0.100	1479	0.105
972	0.018	1534	0.020
973	0.013	1535	0.216
979	0.090	1541	0.072
980	0.096	1543/1/1	0.003
981/1	0.010	1544/1	0.200
981/2	0.010	1544/2/2	0.085
991	0.470	1546	0.104
992	0.050	1560/1	0.110
993/2	0.010	1560/2	0.130
1085	0.044	1561	0.040
1094/1	0.104	1562	0.021
		1567/1	0.020
		1583	0.290
		योग . .	2.841
		कुल योग . .	5.308

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियापुर बांयी नहर कर उमगाहा शाखा नहर के अन्तर्गत महोइकला माइनर नं. 1 एवं 2 हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंडी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भावना वालिंबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाण सागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. 669-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराजनगर
- (ग) ग्राम—बड़ेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.233 हेक्टर।

खसरा	रक्का
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
257	0.177
257/385	0.056
योग . .	0.233

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर बड़ेरा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश¹
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. 1279-वाचक-प्र. क्र. 19-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—बायल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.500 हेक्टर।

सर्वे	अर्जित रक्का
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
456/2	0.740
453/4	0.760
योग . .	1.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ऑकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 129788 मी. से 133630 मी. तक मुख्य नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 14 तथा डायरेक्ट माइनर क्र. 67 के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश²
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 456-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 - (क) जिला—इन्दौर
 - (ख) तहसील—इन्दौर
 - (ग) ग्राम—गढ़ी
 - (घ) क्षेत्रफल क्षेत्रफल—1.035 हेक्टर में।

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1132 पार्ट	0.045
1117 पार्ट	0.120
1151/1 पार्ट	0.201
1151/2 पार्ट	0.153
1152 पार्ट	0.064
1153 पार्ट	0.071
1154/1 पार्ट	0.075
1154/2 पार्ट	0.083
1181 पार्ट	0.029
1182 पार्ट	0.112
1185 पार्ट	0.040
1186 पार्ट	0.042
योग . .	1.035

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नाबाड़ योजना के अन्तर्गत ग्राम गढ़ी तालाब की नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राधवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 14 जुलाई 2010

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अधिनियम, 1894 (क्रमांक -एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 - (क) जिला—ग्वालियर
 - (ख) तहसील—ग्वालियर
 - (ग) नगर/ग्राम—धनवड़ी
 - (घ) क्षेत्रफल—1.22 हेक्टर।

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
632	0.15
638	0.03
634	0.02
635	0.60
639	0.10
640	0.32
योग . .	1.22

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 17-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 - (क) जिला—ग्वालियर
 - (ख) तहसील—ग्वालियर

- (ग) नगर/ग्राम—चक महाराजपुर
 (घ) क्षेत्रफल—4.110 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकवा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
37	0.27	0.02
38	0.26	0.07
40	0.37	0.09
82	0.31	0.16
72	0.79	0.18
74	0.24	0.20
75	0.29	0.08
76	0.25	0.20
77	0.45	0.050
78	0.60	0.280
80	0.63	0.480
83	0.32	0.15
84	0.31	0.21
235	0.20	0.20
237	0.58	0.09
238	0.66	0.20
236	0.71	0.45
239	0.31	0.15
240	0.21	0.08
241	0.50	0.25
242	0.13	0.07
245	0.34	0.12
246	0.50	0.32
248	0.21	0.01
योग . .		<u>4.110</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन.
 (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
 एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 1072-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—रणगांव रोड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.103 हेक्टर में।
खसरा
नम्बर
(1)
रकवा
(हेक्टर में)
46/4
46/6
46/7
46/8
46/13
46/10, 47/1
47/2
49, 50/2
55/2/2, 56/2
55/3
57
55/4क, 55/5, 59/8
58/1
59/9
60/1/1
60/1/2
111/2/1
111/2/2
114/3
114/2क, 115/1, 118/6ख
114/2ख
115/2
116/1
118/6क
118/6ग
118/7
118/8
115/3
118/2
218/4

4.570

0.927

0.440

0.815

0.130

0.025

0.146

0.250

0.910

0.840

0.955

0.130

0.315

0.550

0.025

1.714

1.220

0.254

0.070

0.210

(1)	(2)	प्र. क्र. 27-अ-82-2009-10-क्र. 1073-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
118/9/3	0.220	अनुसूची	
118/9/6	0.300	(1) भूमि का वर्णन—	
118/9/4	0.030	(क) जिला—बड़वानी	
118/9/5	0.410	(ख) तहसील—राजपुर	
118/15, 118/16	0.240	(ग) ग्राम—बिलवानी	
208/1, 209/2	0.075	(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.208 हेक्टर में.	
208/7	0.100	खसरा नम्बर (1) (2)	
214/7	0.040	256 0.285	
208/8	0.139	263/1 0.580	
214/2, 213,	0.190	264/3 0.185	
219/2, 220/2/1/1	0.175	266/1 0.025	
213, 219/2, 220/2/3/1	0.134	266/2, 0.270	
213, 219/2, 220/2/5/4	0.450	265/4, 266/3 0.320	
214/3	0.080	268/1 0.035	
213, 219/2, 220/2/2/1	0.235	268/2 0.560	
213, 219/2, 220/2/3/2	0.506	306/1/2 0.058	
213, 219/2, 220/2/1/2	0.065	305/2, 306/2 0.220	
213, 219/2, 220/2/1/3	0.065	314/1 0.505	
213, 219/2, 220/2/1/4	0.075	314/2 0.225	
213, 219/2, 220/2/2/3	0.115	314/3 0.550	
214/4, 218/3	0.348	314/5 0.500	
218/2	1.570	314/6 0.295	
219/1	0.045	314/7 0.005	
योग . . 20.103		317 0.035	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.		315/3, 318, 322/3 0.665	
नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.		322/4, 323/3 0.265	
		323/2 0.625	
		योग . . 6.208	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.	452/2, 463/5 463/7 ख, 651	0.285 0.028
--	------------------------------	----------------

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।	652/2 453/1 453/4	0.070 0.602
--	-------------------------	----------------

प्र. क्र. 28-अ-82-09-10-क्र. 1074-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	453/6 455 463/7 क, 652/1 454, 463/9 653 658	0.280 2.015 1.630 3.010 0.853 0.558
---	--	--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	661	0.231
(क) जिला—बड़वानी	663	0.110
(ख) तहसील—राजपुर	665	0.605
(ग) ग्राम—इन्द्रपुर	667	0.520
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.537 हेक्टर में।	योग . .	17.537

खसरा नम्बर	रक्कबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
423/2	0.442
423/8, 424	0.605
423/9	0.789
439/7	0.025
439/8	0.663
439/9	0.332
439/10	0.510
442/2	0.345
442/4 क, 443/1 ख	0.679
443/2	0.375
443/4	0.290
443/5	0.215
446/4	1.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 29-अ-82-09-10-क्र. 1075-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—बड़वानी	
(ख) तहसील—राजपुर	
(ग) ग्राम—लिम्बई	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.415 हेक्टर में।	

खसरा नम्बर	रक्कबा (हेक्टर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	118/12	0.110
3/5	0.093	118/13	0.210
3/8	0.461	118/14	0.210
4/2	0.313	118/15	0.970
5/1/1/क	0.070	118/16	1.724
5/1ग, 6/2क, 7/1 क	1.125	120/1	1.100
5/2, 7/2, 7/3	0.364	121/1, 122/1	0.100
7/4, 27/2		121/8	3.217
5/6, 6/6, 7/8	0.175	125/6	0.600
17/1	0.420	126	0.130
17/2	0.795	149/2/2	0.081
19/1/1	0.600	149/3	0.198
19/1/2	0.355	149/5	0.057
19/1/3	0.295	157/1, 158/2	1.080
19/1/4	0.055	187	2.200
19/3	0.416	230/1 क	0.500
23/1	0.650	231/1	0.227
23/3	0.470	231/2	0.421
23/6	0.500	231/33	
27/1	0.935	231/22	0.065
27/3	0.075	231/23	0.081
27/4	0.263	231/24	0.162
28/1	0.227		
28/2, 28/3	0.800	योग . .	<u>25.415</u>
29/11	0.160		
43/10	0.555		
44/1	0.607	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.	
118/1	0.138		
118/4	0.515	नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	
118/6	0.020		
118/8	0.190		
118/9	0.110		
118/10	0.110	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
118/11	0.110	संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	